

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, धौलपुर

क्रमांक: म0बा0वि0/स्था./मा.क./विज्ञप्ति/2025-26/262

दिनांक:- 11.12.2025

विज्ञप्ति संख्या 01/2025-26

जिले की 6 परियोजनाओं के सम्मुख अकित ग्राम पंचायतों/वार्डों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम/वार्डों की स्थानीय निवासी महिलाओं से सम्बंधित परियोजना कार्यालयों में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.सं.	परियोजना कार्यालय का नाम एवं ई-मेल आई. डी.	ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	रिक्त मानदेय पद का नाम	आरक्षण श्रेणी
1	बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाड़ी E-mail ID:- ICDS.BARI@RAJASTHAN.GOV.IN	पंजीपुरा	पंजीपुरा	सहायिका	अजा
2		सूरोठी	हांसई	कार्यकर्ता	अजजा
3		सूरोठी	सूरोठी	सहायिका	
4		कांसपुरा	बैनपुरा	सहायिका	
5		मरहौली	मुरावली	कार्यकर्ता	
6		सहेडी	कांसौटीखेडा	कार्यकर्ता	अजजा
7		कस्बानगर	रजईकला	सहायिका	
8		सनौरा	सनौरा-1	सहायिका	
9	बाल विकास परियोजना अधिकारी, बसेड़ी E-mail ID:- ICDS.BASERI@RAJASTHAN.GOV.IN	रतनपुर (नवीन रैवियापुरा)	रैवियापुरा-1	कार्यकर्ता	
10		बौरेली	बौरेली-3	कार्यकर्ता	
11		भारली	भारली	कार्यकर्ता	
12		नगरपालिका बसेड़ी वार्ड नं. 19,22	बसेड़ी-1	सहायिका	
13		ताजपुरा	मटियाबास	सहायिका	
14		महुगुलावली	महुगुलावली-3	सहायिका	

३३

15		इब्राहिमपुर	रेवई	सहायिका	अजा
16		निधारा	महाराजपुरा	सहायिका	अजा
17		सलेमपुर	सलेमपुर-3	सहायिका	
18		जारगा	जारगा-4	सहायिका	
19	बाल विकास परियोजना अधिकारी, राजाखेड़ा E-mail ID:- ICDS.RAJAKHERA@RAJASTHAN.GOV.IN	चौहानपुरा	विचपुरी	कार्यकर्ता	
20		चौहानपुरा	दान द्वितीय	कार्यकर्ता	
21		मरैना	मरैना तृतीय	सहायिका	
22		लालपुर	लालपुर	सहायिका	
23		लालपुर	अतरौली	सहायिका	
24		सिलावट	सिलावट प्रथम	सहायिका	
25		नादौली	सामलियापुरा	सहायिका	
26		महदपुरा	कदूमरा	कार्यकर्ता	
27		बसईघीयाराम	दगरा	सहायिका	
28		जलालपुर	चंदेलपुरा	कार्यकर्ता	
29		खुडिला	खनपुरा	सहायिका	
30	बाल विकास परियोजना अधिकारी, धौलपुर E-mail ID:-ICDS.DHOLPUR@RAJASTHAN.GOV.IN	बसैया लालू	सहजपुर	कार्यकर्ता	
31		कासिमपुर	नत्थापुरा	कार्यकर्ता	अजा
32		बसैया लालू	बगचौली लोधा	सहायिका	
33		सादिकपुर	डोंगरपुर	सहायिका	
34		लुहारी	सांडा	सहायिका	अजा
35		विशनोंदा	सांदरा	सहायिका	
36		मनियां वार्ड सं 1	मनियां पंचम	कार्यकर्ता	
37		मनियां वार्ड सं 1	मनियां पंचम	सहायिका	
38		मनियां वार्ड सं. 2	मनियां तृतीय	सहायिका	
39		धौलपुर नप वार्ड सं. 41	सराय गजरा	सहायिका	अल्प संख्यक
40		धौलपुर नप वार्ड सं 43	भामतीपुरा	सहायिका	
41		धौलपुर नप वार्ड सं 43	नयापुरा जेल रोड	सहायिका	
42		धौलपुर नप वार्ड सं 49	धूलकोट द्वितीय	सहायिका	

21/8

43	बाल विकास परियोजना अधिकारी, सैपऊ E-mail ID:-ICDS.SAIPAU@RAJASTHAN.GOV.IN	कुरेंधा	रंजीतपुरा	कार्यकर्ता	
44		मानपुर	बहरावती प्रथम	कार्यकर्ता	
45		सैपऊ वार्ड नं. 21	सैपऊ चतुर्थ	कार्यकर्ता	
46		रजोरा कला	सालेपुर	सहायिका	अजा
47		गढी चटोला	कुम्हेरी	सहायिका	
48		कैथरी	गोगली	सहायिका	
49		मूसलपुर	भोलपुरा	सहायिका	
50		कौलारी	भेरो का पुरा	सहायिका	
51		मढा कांकोली	मल्हेला	सहायिका	
52		नुनेहरा	नुनेहरा द्वितीय	सहायिका	
53		सैपऊ वार्ड नं.16	सैपऊ द्वितीय	सहायिका	
54		सैपऊ वार्ड नं. 21	सैपऊ चतुर्थ	सहायिका	
55	बाल विकास परियोजना अधिकारी सरमथुरा E-mail ID:- cdposaramthura@gmail.com	मढासिल	कौनेसा	सहायिका	
56		चन्द्रावली	बडापुरा	सहायिका	अजजा
57		डौमई	घिरौनियां	कार्यकर्ता	
58		डौमई	घिरौनियां	सहायिका	
59		नगरपालिका सरमथुरा वार्ड नं. 14	सरमथुरा द्वितीय	कार्यकर्ता	
60		आगई	कछपुरा	सहायिका	अजजा
61		गौलारी	खैमरी	सहायिका	अजजा

1. ग्रामीण क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में महिला जिस आंगनवाडी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उस राजस्व ग्राम/वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए।
2. आंगनवाडी कार्यकर्ता/सहायिका हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
3. वैवाहिक स्थिति:- आंगनवाडी मानदेयकर्मी के पद पर आवेदन हेतु विवाहित एवं अविवाहित महिला दोनों पात्र होंगी। किन्तु विवाह अथवा अन्य किसी कारण से यदि महिला स्थानीय निवासी नहीं रहती है तो स्वतः ही मानदेय सेवा समाप्त मानी जायेगी। इस आशय का शपथ पत्र चयन के आवेदन करते समय ही देना होगा।
4. आवेदक की आयु विज्ञप्ति जारी होने की तिथि (11.12.2025) तक 18-35 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं विशेष योग्यजन हेतु अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी।
5. योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में समस्त संगत दस्तावेजों सहित व्यक्तिशः दिनांक 09.01.2026 सांय 6.00 बजे तक जमा करा सकेंगे।
6. इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एवं अन्य शर्तें उपनिदेशक कार्यालय/सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट www.wed.rajasthan.gov.in के ICDS कॉलम से प्राप्त की जा सकती है।

संलग्न:- चयन परिपत्र एवं आवेदन प्रारूप ।

11.12.25
(भूपेश गर्ग)
उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
धौलपुर(राज0)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. श्रीमान् निदेशक महोदय,समेकित बाल विकास सेवाएँ,राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर।
3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद,धौलपुर।
4. उपखण्ड अधिकारी धौलपुर/बाड़ी/बसेड़ी/सरमथुरा/राजाखेड़ा/सैपऊ।
5. विकास अधिकारी,पंचायत समिति बाड़ी/बसेड़ी/धौलपुर/सैपऊ/राजाखेड़ा/सरमथुरा।
6. आयुक्त,नगर परिषद धौलपुर।
7. अधिशाषी अधिकारी,नगर पालिका बसेड़ी/सरमथुरा/सैपऊ।
8. बाल विकास परियोजना अधिकारी धौलपुर प्रथम/धौलपुर द्वितीय सैपऊ/बाड़ी/बसेड़ी/राजाखेड़ा/सरमथुरा को भेजकर लेख है कि विज्ञप्ति सूचना को कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं उपखण्ड स्तरीय कार्यालय के नोटिस बोर्डों पर चस्पा करावें एवं रिक्त पदों का सम्बन्धित क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित विकास अधिकारी से सम्पर्क कर चयन हेतु विशेष ग्राम सभा की बैठक आयोजित कराकर निर्धारित समय सीमा में चयन कार्यवाही पूर्ण करावें।
9. आदेश पत्रावली।

अ.स.

उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
धौलपुर(राज0)

राजस्थान-सरकार

निदेशालय सगेकित बाल विकास सेवाएं,

2, जल पथ, गौधीनगर, जयपुर

क्रमांक: प.11(3)10/मो./आईसीडीएस/2022/4244

जयपुर, दिनांक: 12/1/2023

-: मानदेय कार्मिकों का नियुक्ति परिपत्र :-

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं शिशु पालना गृह कार्यकर्ता, का मानदेय पर चयन करने, मानदेय सेवा से पृथकीकरण एवं अवकाश आदि प्रकरणों के लिए समय-समय पर विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों के अतिक्रमण में निम्नानुसार नवीन दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं।

-: मानदेय सेवा में चयन की प्रक्रिया :-

1. रिक्तियों का निर्धारण एवं विज्ञप्ति की प्रक्रिया

- (i) समस्त आंगनवाड़ी कार्मिक, जिन्हें अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर किसी वर्ष में सेवानिवृत्त किया जाना है, उन्हें 6 माह पूर्व ही सेवानिवृत्ति संबंधी आदेश की कार्यवाही बाल विकास परियोजना अधिकारी स्तर से पूर्ण कर ली जावे। इसकी सूचना संबंधित मानदेयकर्मी को देते हुये सीडीपीओ कार्यालय में चरसा करते हुये विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड की जावे।
- (ii) मानदेय सेवा कर्मियों के चयन हेतु विज्ञप्ति दिनांक को जिले में उपलब्ध रिक्ति एवं आगामी 06 माह में सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाली रिक्तियों को सम्मिलित करते हुये 6 माह पूर्व विज्ञप्ति जारी की जायेगी ताकि मानदेयकर्मी के सेवानिवृत्त होने से पूर्व चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके। विज्ञप्ति प्रतिवर्ष 2 बार जून एवं नवम्बर माह की प्रथम तिथि को संबंधित जिले के उप निदेशक स्तर से प्रकाशित करायी जावेगी।
- (iii) आंगनवाड़ीकर्मी के चयन की कार्यवाही आंगनवाड़ीकर्मी के सेवानिवृत्त होने से 03 माह पूर्व पूर्ण कर ली जाये, ताकि उनके प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध हो सके और सेवानिवृत्ति के कारण कोई आंगनवाड़ी केन्द्र मानदेयकर्मी से रिक्त न रहे।
- (iv) उप निदेशक द्वारा जिले में केन्द्रवार रिक्तियों को भरने हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारियों से प्राप्त सूचना का संकलन कर प्राप्त सूचना को सर्वाधिक प्रसार वाले किन्हीं दो दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई जायेगी, जिसमें से एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र होगा। इस विज्ञप्ति की प्रतिलिपि उप निदेशक द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विकास अधिकारी, स्थानीय नगर निकाय एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को भी भेजी जायेगी।
- (v) उप निदेशक द्वारा विज्ञप्ति की एक प्रति सम्बन्धित सभी अधीनस्थ परियोजनाओं की रिक्तियों के संकलन के साथ निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित की जाएगी।
- (vi) उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग के स्तर से आंगनवाड़ी कर्मी की ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के रिक्त पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन एक साथ किया जायेगा।

2. आवेदन की प्रक्रिया:-

- (i) आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाईन होगी, ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया विकसित होने तक परिशिष्ट 'अ' पर दिये गये प्रपत्र में आंगनवाड़ी कर्मों के ऑफलाइन आवेदन पत्र दो प्रतियों में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः विज्ञप्ति में अंकित अन्तिम तिथि तक जमा किये जा सकेंगे। कार्यालय में संबंधित कर्मचारी द्वारा आवेदन प्राप्ति की रसीद (आवेदन पत्र सहित समस्त सलग्न दस्तावेजों के पत्र सख्या अंकित करवाते हुये आवेदन पत्र व

समस्त दस्तावेजों पर स्वप्रमाणित करवाया जाने के साथ) आवेदनकर्ता को अवश्य देंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों का रिकार्ड रखा जाना आवश्यक होगा।

- (ii) आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन जमा करवाये जाने के पश्चात त्रुटिवश संलग्न किये जाने से वंचित किसी भी प्रकार की कमी-पूर्ति हेतु संलग्न करवाये जाने वाले दस्तावेज को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर विज्ञप्ति की अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र में सम्मिलित करवाया जा सकेगा, परन्तु विज्ञप्ति में वर्णित आवेदन जमा करवाये जाने की अंतिम तिथि के पश्चात् किसी भी प्रकार के दस्तावेज को शामिल नहीं किया जावेगा।

3. चयन की प्रक्रिया

सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों में संलग्न दस्तावेजों की पूर्णतः जाँच की जावेगी। तथा विज्ञप्ति की अंतिम तिथि के 07 दिवस में प्रपत्र "ब" चयन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र अनुसार की गई परिनरीक्षा (Scrutiny) के आधार पर अंतिम वरीयता सूची तैयार की जावेगी।

ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता, ऑगनबाड़ी सहायिका, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता के पद रिक्ति की आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि से आगामी 60 दिवस में ग्रामीण/शहरी चयन समिति द्वारा निम्नानुसार चयन कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

A. ग्रामीण क्षेत्र:-ग्रामीण क्षेत्रों में चयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया ग्राम पंचायत/सीडीपीओ कार्यालय द्वारा आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि की तिथि से आगामी 60 दिवस की समयावधि या 1 ग्राम सभा की बैठक आयोजन में (जो भी पहले हो) सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पूर्ण की जानी चाहिए। इस हेतु उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग एवं सीडीपीओ द्वारा पंचायत राज विभाग से समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/विकास अधिकारी से विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन करवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

B. शहरी क्षेत्र:-शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि से आगामी 60 दिवस में सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जावेगी। शहरी क्षेत्रों में गठित समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा:-

1	उप खण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2	संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य सचिव
3	संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
4	संबंधित आयुक्त/अधिकांशी अधिकारी (नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका) अथवा उनके द्वारा नामित कोई एक अधिकारी	सदस्य
5	संबंधित वार्ड पार्षद	सदस्य
6	सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक	सदस्य
नोट:-उक्त गठित शहरी चयन समिति की बैठक में कोरम 6 में से 3 सदस्यों के उपस्थित होने पर चयन प्रक्रिया सम्पादित की जा सकेगी।		

- (i) यदि सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि से आगामी 60 दिवस में पूर्ण नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा मूल्यांकन प्रपत्र अनुसार की गई परिनरीक्षा (Scrutiny) के आधार पर बनाई गई वरीयता सूची मय संलग्न दस्तावेजों के स्क्रीनिंग समिति के समक्ष पेश करेगा। सम्बन्धित जिले के उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा दस्तावेजों की पूर्ण जांच करते हुये आगामी 30 दिवस में अर्थात् आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि से 90 दिवस की अवधि में वरीयता सूची

में से विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप योग्यतम महिला के चयन का अनुमोदन किया जाकर सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। स्कीनिंग समिति निम्नानुसार होगी:-

1	उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास	अध्यक्ष
2	संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य सचिव
3	सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक (ICDS)	सदस्य

- (ii) आंगनवाड़ी मानदेयकर्मियों के चयन की प्रक्रिया आवेदन जमा करवाने की अन्तिम तिथि के अधिकतम 60 दिवस में उप निदेशक स्तर पर गठित समिति द्वारा चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए, जिसके लिए निम्नानुसार टाइमलाईन निर्धारित होगी-

क्र.सं.	कार्य	निर्धारित समयावधि
1	विज्ञप्ति प्रकाशन	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ सहायिका की सेवानिवृत्ति से 06 माह पूर्व।
2	आवेदन की प्राप्ति	विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर
3	प्राप्त आवेदनों की जांच व अन्तिम वरीयता सूची तैयार करना	आवेदन की अंतिम तिथि से 07 दिवस के भीतर।
4	बाल विकास परियोजना अधिकारी स्तर पर सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया का निस्तारण	आवेदन जमा करवाने की अन्तिम तिथि से 60 दिवस तक।
5	उप निदेशक स्तर पर गठित समिति को प्रेषित प्रकरणों में चयन का अनुमोदन करना	आवेदन जमा करवाने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस तक।

- (iii) आवेदन जमा करवाने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस की अवधि में सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में चयन नहीं होने के ठोस कारणों मय स्पष्टीकरण सहित प्राप्त आवेदनों को तुरन्त प्रभाव से निदेशालय को भिजवाये जायेंगे। उप निदेशक स्तर पर आवेदन जमा करवाने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस (निर्धारित 30 दिवस की समयावधि) में सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया सम्पादित नहीं किये जाने के पश्चात् उप निदेशक स्तर से आगामी 07 दिवस में सम्पूर्ण चयन प्रकरण की पत्रावली मय की गई कार्यवाही सहित निदेशालय में प्रस्तुत प्रस्तुत किया जावेगा। उप निदेशक स्तर से उपरोक्तानुसार चयन से शेष प्रकरणों की पत्रावली निदेशालय में प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित उप निदेशक को दोषी मानते हुये नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

- (iv) निदेशालय में चयन प्रकरण प्राप्त होने पर उप निदेशक (वि.खा.का) की अध्यक्षता में निदेशालय स्तर पर गठित चयन कमेटी द्वारा चयन करने या चयन के संबंध में चयन अवधि बढ़ाने/चयन प्रक्रिया निरस्त करने के संबंध में निर्णय लेने की आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

- (v) चयन हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति की तिथि की सूचना ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में नगर निकाय के प्रमुख को सूचित करते हुए कार्यालय

- के नोटिस बोर्ड पर एवं सम्बन्धित आंगनवाड़ी केन्द्र पर चस्पा की जायेगी। उक्त की पालना सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक द्वारा कराई जायेगी।
- (vi) उप निदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे ग्राम के सभी वार्ड पंचों और शहरी वार्ड पार्षदों को उक्त पद रिक्ति की दिनांक के बारे में सूचित कर आवश्यक प्रचार प्रसार किया जाएगा।
- (vii) बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को परिपत्र के साथ संलग्न चयन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र "परिशिष्ट-ब" के अनुसार दस्तावेजों की प्राथमिक जाँच उपरान्त मापदण्ड अनुसार अंक देकर वरीयता सूची तैयार की जाएगी।
- (viii) सीडीपीओ के स्तर से चयन कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में बाल विकास परियोजना अधिकारी की अनुशंसा परिशिष्ट 'स' में भरकर उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास को चयन की सूचना जारी करने हेतु प्रेषित की जायेगी।
4. आंगनवाड़ी मानदेयकर्मी (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालनागृह कार्यकर्ता, सहायिका) का पद यदि चयन के एक वर्ष के अंतर्गत ही त्यागपत्र देने से रिक्त हो जाए, वहां उसी वरीयता सूची से द्वितीय वरीयता के अभ्यर्थी को चयनित किया जा सकेगा। द्वितीय वरीयता वाले आवेदक द्वारा भी त्यागपत्र देने की स्थिति में तृतीय वरीयता के अभ्यर्थी का चयन किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा सीधे ही नियुक्ति दी जा सकेगी। उक्त प्रकरण में एक वर्ष की अवधि की गणना प्रथम वरीयता प्राप्त आवेदक के चयन आदेश की दिनांक से की जावेगी।
5. किसी परिवार के मुखिया की दुर्घटना या सिलिकोसिस से मृत्यु होने पर (FIR/ PMR की रिपोर्ट के साथ सिलिकोसिस/दुर्घटना से मृत्यु होने के प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरान्त) उसकी विधवा पत्नी को संबल देने के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक पात्रता रखने की स्थिति में उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उसे सीधे नियुक्ति दी जा सकेगी, बशर्ते उसके राजस्व ग्राम/वार्ड में स्थित आंगनवाड़ी केन्द्र पर रिक्ति विद्यमान हो। इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी एवं अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष लागू होगी। इस संबंध में उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास/सीडीपीओ द्वारा समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। उपरोक्तानुसार चयन प्रक्रिया में 1 से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में जो सबसे कम उम्र में विधवा (विधवा महिला की जन्मतिथि के आधार पर) हुई हो, को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

6. (A) चयन हेतु वांछित पात्रता:-

- (i) स्थानीय निवासी होना— आंगनवाड़ी कर्मी के लिए ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन करने वाली विवाहित महिला जिस ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम के आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु चयन हो रहा है, उस ग्राम पंचायत के उसी राजस्व ग्राम की निवासी होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है, उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए। विधवा महिला व तलाकशुदा को ससुराल व मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।
- (ii) स्थानीय निवासी होने के आधार हेतु दस्तावेजों की छाया प्रति मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/जन आधार कार्ड/आधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र/विवाह

- पंजीयन प्रमाण पत्र/ग्राम विकास अधिकारी/सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में से कोई भी दो वाछनीय दस्तावेजों की छाया प्रति का उल्लेख आवेदन पत्र में भी किया जाये।
- (iii) आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना अनिवार्य है।
- (iv) वैवाहिक स्थिति— आंगनवाड़ी कर्मों के पद पर आवेदन हेतु महिला का विवाहित होना आवश्यक है।
- (v) शैक्षणिक योग्यता— आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका एवं शिशुपालना गृह कार्यकर्ता हेतु न्यूनतम बारहवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- (vi) महिलाओं में शैक्षणिक पिछड़ेपन की स्थिति वाले जिले 1 बाडमेर, 2.जैसलमेर, 3.जालौर, 4.प्रतापगढ़, 5.टोंक, 6.सिरोही, 7.उदयपुर में निर्धारित योग्यता के आवेदक नहीं मिलने की स्थिति में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता देते हुये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका हेतु 10वीं उत्तीर्ण महिला का चयन किया जा सकता है, परन्तु इस का स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
- (vii) यदि कोई सहायिका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद पर आवेदन करती है तो 2 वर्ष की निरन्तरता का कार्यानुभव (केवल राजस्थान राज्य में) रखने वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं को सीधे ही उसी आंगनवाड़ी केन्द्र में जिसमें वह कार्यरत है में कार्यकर्ता के पद पर लगाया जायेगा बशर्तें रिक्तियों की उपलब्धता, शैक्षणिक योग्यता व सेवा रिकार्ड, के मानदण्ड को पूर्ण करती हो। इसमें अंको की वरीयता सूची अप्रभावी मानी जायेगी।
- (viii) आयु— आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी, आवेदनकर्ता की आयु की गणना जन्मतिथि से विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि के आधार पर की जायेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित— प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, यौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित, पेशीय दुष्प्रोषण) के प्रकरण में अधिकतम आयु 40 वर्ष तक की होगी। (विज्ञप्ति प्रकाशन/जारी होने की तिथि को)
- आंगनवाड़ी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिये आवेदन करता है तो उन पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नहीं होगी।
 - विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र व पुनर्विवाह नहीं किया है, इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन आवश्यक होगा।
 - तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम न्यायालय से जारी आदेश/डिक्री की छायाप्रति को आवश्यक रूप से दस्तावेजों में संलग्न किया जाये।
 - यदि किसी आवेदक के दस्तावेज जांच के दौरान जाली/फर्जी/कूटरचित पाया जाता है तो ऐसे आवेदक का आवेदन पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जायेगा तथा ऐसा आवेदक भविष्य में भी मानदेयकर्मों हेतु चयन का पात्र नहीं होगा।
- (ix) चयन हेतु मूल्यांकन मानदण्ड—विभिन्न पदों की व्यावहारिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आवेदकों के चयन हेतु उनके मूल्यांकन का एक मानदण्ड निर्धारित होगा, जिसमें अलग-अलग बिन्दुओं के अलग-अलग अंकभार निर्धारित होंगे, जो निम्नानुसार होगा—

प्रपत्र ब

चयन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र					
आंगनवाडी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए					
क्र. सं.	मापदण्ड	विस्तृत विवरण	अंक भार	पूर्णांक	प्राप्तांक
1	शैक्षणिक योग्यता (कार्यकर्ता / मिनी कार्यकर्ता / शिशु पालनागृह कार्यकर्ता)	स्नातकोत्तर (अन्तिम वर्ष उत्तीर्ण होने पर)	2	2	
		स्नातक (अन्तिम वर्ष उत्तीर्ण होने पर) या समकक्ष योग्यता	1		
		12वीं पास या समकक्ष योग्यता	0		
		राजस्थान सरकार एवं NCTE द्वारा अनुमति प्राप्त संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से द्विवर्षीय NTT/DPSE डिप्लोमा / B.Ed. <u>BSTC/ द्विवर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र (D.El.Ed)</u>	2	2	
2	श्रेणी	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	3	3	
		पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग / आर्थिक पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक सक्षम प्रमाण पत्र के आधार पर सामान्य	2		
			1		
		विमुक्त एवं अर्द्धघुमन्तु जाति / आदिम व घुमन्तु जाति सक्षम प्रमाण पत्र के आधार पर	2	2	
		गति आधारित दिव्यांगजन (गति आधारित - प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित, पेशीय दुष्पोषण), 40 प्रतिशत विकलांगता की स्थिति में सक्षम प्रमाण पत्र के आधार पर	2	2	
3	विशेष योग्यता	जी.एन.एम. / आयुर्वेद नर्सिंग	4	4	
		ANM	3		
		RSCIT/PGDCA	1		
4	कार्यानुभव	आंगनवाडी कार्यकर्ता / मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ता / शिशु पालना गृह कार्यकर्ता / सहायिका / आशासहयोगिनी / साथिन के रूप में नियमित एवं संतोषप्रद सेवा होने पर अथवा कार्यमुक्त हुई है तो निरन्तरता में सम्मिलित करते हुए 1 वर्ष का कार्यानुभव (केवल राजस्थान के मानदेय कर्मियों को)	4	4	
5	विधवा / तलाकशुदा /	विधवा	3	3	
		तलाकशुदा	2		
कुल				23	

हस्ताक्षर मय दिनांक
वाल विकास परियोजना अधिकारी

हस्ताक्षर मय दिनांक
महिला पर्यवेक्षक

नोट:- केवल शहरी क्षेत्र की साथिन जो परिसीमन होने के पश्चात निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग द्वारा कार्यमुक्त कर दी गई है उन्हें सम्बन्धित नगरीय निकाय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पद रिक्त होने से एक माह पूर्व आवेदन करना होगा। उक्त पद पर

अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं रखते हुए, शैक्षणिक योग्यता एवं उसी वार्ड की निवासी की बाध्यता को हटाते हुए उक्त पद पर सीधे ही साथिन के पद से कार्यमुक्त की गई महिला का चयन करना सुनिश्चित करे तथा उक्त पद की विज्ञप्ति जारी नहीं करें। उक्त प्रकरण में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में अधिकतम शैक्षणिक योग्यता वाली महिला का चयन किया जावेगा।

(x) समान अंक आने की स्थिति :-

- दो या अधिक आवेदकों के बराबर अंक होने की स्थिति में निम्न क्रम में वरीयता दी जाएगी-
 1. विधवा, इनमें भी समान अंक होने पर जो सबसे कम उम्र की विधवा (विधवा महिला की जन्मतिथि के आधार पर) हुई हो।
 2. तलाकशुदा, इनमें भी समान अंक होने पर जो सबसे कम उम्र की तलाकशुदा (तलाकशुदा महिला की जन्मतिथि के आधार पर) हुई हो।
 3. विकलांग
 4. अधिकतम आयु वाली महिला।
 5. अधिकतम आयु वाली महिला में भी दो या दो से अधिक आवेदकों के बराबर अंक होने की स्थिति में बराबर अंक व एक ही जन्म दिनांक की महिला होने की स्थिति में उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के अनुसार वरीयता निर्धारित की जाएगी।

नोट:

1. उक्त मूल्यांकन प्रपत्र 2 प्रतियों में महिला पर्यवेक्षक द्वारा भरा जाएगा।
2. आंगनबाड़ी कर्मी चयनित महिला के मूल्यांकन प्रपत्र की एक प्रति उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग तथा दूसरी प्रति सम्बंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में मय आवेदन पत्र एवं चयन के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सुरक्षित रखी जाएगी।
3. प्रत्येक जगह आंगनबाड़ी मानदेयकर्मी के चयन में 3 आवेदकों की आरक्षित सूची भी बनायी जाये, ताकि मानदेयकर्मी के चयन के एक वर्ष के भीतर मानदेयकर्मी के हटने या हटाये जाने पर तत्काल दूसरे मानदेयकर्मी को लगाने का विकल्प उपलब्ध हो।
4. प्रत्येक चयनित मानदेयकर्मी की निजी पत्रावली संधारित की जावेगी।

(xi) श्रेणीवार आरक्षण -

- जिन केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है, को उन केन्द्रों हेतु अनिवार्यतः उसी वर्ग की महिला का चयन किया जाएगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाड़ी केन्द्र के सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जावेगी।
- संबंधित आरक्षित श्रेणी के आवेदन प्राप्त नहीं होने पर विज्ञप्ति को निरस्त कर उक्त पद को आगामी विज्ञप्ति में शामिल किया जावेगा।
- चयन की प्राथमिकता परिशिष्ट 'ब' पर दिए गए मूल्यांकन प्रपत्र में वर्णित मापदण्डों व उनके अंक भार के अनुसार देय होगी।

(B) विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप चयन नहीं होने पर अपील -

1. यदि बाल विकास परियोजना अधिकारी/उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ऐसी महिला का चयन किया गया है जो वांछित पात्रता एवं वरीयता क्रम में उपयुक्त नहीं है एवं विभागीय नियमानुसार नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई भी प्रभावित पक्ष 1 माह के भीतर अधोनिर्दिष्ट प्राधिकारी के सम्मुख अपील प्रकरण बनाकर प्रस्तुत करेंगे। प्रथम अपील के निस्तारण के 1 माह के अन्दर द्वितीय अपील की जा सकेगी। निर्धारित अपीलीय अवधि के पश्चात अपील प्रस्तुत करने पर अपील स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इसके लिए परियोजना क्षेत्रानुसार अपील प्राधिकारी एवं अपील निस्तारण की अवधि निम्न प्रकार होंगी :-

समेकित बाल विकास सेवाओं के लिए

क्र.सं.	क्षेत्र	अपील प्राधिकारी		निस्तारण अवधि	
		प्रथम अपील	द्वितीय अपील	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
1	ग्रामीण	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	अतिरिक्त निदेशक (आई.) निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं	1 माह	1 माह
2	शहरी	अति० जिला कलेक्टर	अतिरिक्त निदेशक (आई.) निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं	1 माह	1 माह

7. मानदेय सेवा एवं प्रशिक्षण

- उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मानदेय कर्मियों के चयन अनुमोदन पश्चात 7 दिवस में चयन की सूचना संबंधित अभ्यर्थी को जारी की जावे।
- अभ्यर्थी का चयन होने पर भारत सरकार/ राज्य सरकार के नियमानुसार प्रशिक्षण जिला स्तर पर प्रशिक्षण व्यवस्था के अनुरूप प्राप्त करेंगे।
- चयन कार्यवाही पूर्ण होने के 2 माह में अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में भेजे जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाये।
- मानदेयकर्म के प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त उन्हें 15 दिवस के भीतर चयन आदेश दिया जाना आवश्यक होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालनागृह कार्यकर्ता को कार्यविधि प्रशिक्षण में 'ए' या 'बी' ग्रेड प्राप्त करने के पश्चात ही कार्यादेश जारी किये जायेंगे।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता एवं सहायिका राज्य कर्मचारी नहीं होकर मानदेय सेवाकर्म है। इनके द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दी जा रही सेवाओं के लिए निर्धारित दरों के अनुसार इन्हें मानदेय का भुगतान किया जावेगा। ये पूर्णतः अस्थाई एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने वाली मानदेयकर्म हैं। इन पर राज्य कर्मचारियों के किसी भी प्रकार के सेवा नियम लागू नहीं होंगे। इस बाबत चयन आदेश में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
- मानदेयकर्म की जन्मतिथि के आधार के रूप में किसी भी राज्य के बोर्ड द्वारा जारी दसवीं के अंकपत्र/प्रमाण पत्र को मूल आधार माना जायेगा और कार्यादेश में मानदेय कार्मिक की जन्मतिथि का इसी रूप में अंकन करते हुए उसकी जन्म तिथि का आधार (दसवीं के अंकपत्र अथवा प्रमाण पत्र) का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा, जिसमें शब्दों एवं अंकों में अंकन किया जाना अनिवार्य है।
- कार्यादेश के उपरान्त ही केन्द्र पर कार्य प्रारम्भ करने पर मानदेय का लाभ देय होगा। किसी चयनित महिला के 'सी' या 'डी' ग्रेड आने पर उसे एक अतिरिक्त अवसर देते हुए

पुनः कार्यविधि प्रशिक्षण में भेजा जा सकेगा। इस अवसर के बाद 'ए' या 'बी' ग्रेड प्राप्त करने के पश्चात ही कार्यादेश जारी किये जायेगा। यदि चयनित महिला को 'सी' या 'डी' ग्रेड प्राप्त होती है, तो इसके उपरान्त कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जायेगा।

- (viii) ऐसे पूर्व मानदेय कार्मिक जिनका दुबारा चयन उसी मानदेय पद हेतु होता है, तो उन्हें पुनः कार्यविधि प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
- (ix) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता/ सहायिका मानदेय सेवाकर्मि है। अतः इनका स्थानान्तरण किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकेगा।
- (x) आंगनबाड़ी सहायिका को मानदेय सेवा पर कार्यग्रहण करने से पूर्व जॉब प्रशिक्षण दिए जाने की बाध्यता नहीं है। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा उन्हें सीधे ही कार्य ग्रहण करवाने के आदेश जारी किए जाएंगे। सहायिका द्वारा 2 वर्ष के अंदर आमुखीकरण (Orientation) प्रशिक्षण लिया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- (xi) आवेदन करने वाली महिला यदि आवेदन करने के समय किसी स्थानीय निकाय यथा पंचायतीराज अथवा नगरीय निकाय में निर्वाचित पदों पर आसीन है, तो उक्त महिला को चयन आदेश जारी होने पर 15 दिवस की अवधि में आसीन पद से त्यागपत्र देने पर ही प्रशिक्षण में भेजा जा सकेगा। निर्धारित अवधि में त्यागपत्र नहीं देने की स्थिति में चयन स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं कमशः द्वितीय/तृतीय वरीयता प्राप्त महिला का चयन आदेश जारी किया जा सकेगा।
- (xii) आवेदन करने वाली महिला यदि आवेदन करने के समय किसी आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यरत है, तो उक्त महिला को आवेदन के साथ त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु प्रशिक्षण हेतु आदेश जारी होने पर त्यागपत्र देना होगा, त्यागपत्र नहीं देने की स्थिति में चयन स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं कमशः द्वितीय/तृतीय वरीयता प्राप्त महिला का चयन आदेश जारी किया जा सकेगा।

8. मानदेय सेवा से पृथक्करण—

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता/सहायिका का मानदेय से पृथक्कीकरण निम्नलिखित स्थितियों में किया जा सकेगा :—

- (i) सेवानिवृत्ति आयु पूर्ण होने पर।
- (ii) बिना विभागीय अनुमति/सूचना के 10 दिवस या अधिक अनुपस्थिति होने पर।
- (iii) जांच में कोई अनियमितता या शिथिलता बरते जाने पर।

9. सेवा से पृथक्कीकरण के संबंध में निम्नानुसार बिन्दु महत्वपूर्ण होंगे—

- (i) उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग/ बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा 1 दिसम्बर तक उन सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालनागृह कार्यकर्ता की सूची जारी की जाएगी जिनकी आगामी वर्ष में 61 वर्ष की आयु पूर्ण होने के कारण मानदेय सेवा समाप्त होगी। इस बारे में मानदेय कर्मियों को सूचित करने की जिम्मेदारी संबंधित उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग/ बाल विकास परियोजना अधिकारी व महिला पर्यवेक्षक की होगी।
- (ii) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता/सहायिका के 61 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उन्हें सेवानिवृत्त किया जावेगा। 61 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में मानदेय कर्मियों की सेवा विस्तार नहीं किया

जावेगा। पूर्व में मानदेय सेवा विस्तार की जा चुकी मानदेयकर्मियों को सेवा विस्तार पूर्ण होने पर ही मानदेय सेवा से पृथक किया जावेगा।

- (iii) आंगनबाड़ी मानदेयकर्मियों के 61 वर्ष आयु पूर्ण होने पर मानदेय सेवा से पृथक्कीकरण हेतु जन्मतिथि वाले माह की प्रथम तिथि से माह की अंतिम तिथि होने पर मानदेयकर्मियों को उस माह में मानदेय सेवा से सम्बन्धित कार्य सम्पादित करवाते हुये माह की अन्तिम तिथि को ही मानदेय सेवा से पृथक किया जावे।
- (iv) यदि 61 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद भी कोई आंगनबाड़ी मानदेय कार्मिक कार्यरत पाई जाती है तो संबंधित उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग/बाल विकास परियोजना अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी होंगे। इसके साथ ही संबंधित मानदेय कार्मिक को जन्मतिथि के अनुसार 61 वर्ष की आयु पूर्ण किये जाने के दिवस/तिथि से अधिक अवधि के मानदेय भुगतान की राशि संबंधित पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी व उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग से वसूली की जाएगी।
- (v) यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता किसी प्रकार के दुराचरण की दोषी/सजा याप्ता प्राप्त पायी जाती है या किसी न्यायालय द्वारा अपराधिक प्रकरण में दोषी पाई जाती है तो उसे मानदेय सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
- (vi) जिला स्तरीय अधिकारी, निदेशालय के अधिकारियों अथवा अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किये जाने पर बिना किसी युक्तियुक्त कारण के आंगनबाड़ी केन्द्र बंद पाये जाने व गम्भीर अनियमितता दर्शित होने/आशंका के दृष्टिगत आंगनबाड़ीकर्मियों की मानदेय सेवा रोकते हुए जांच उपरान्त मानदेय कर्मियों को दोषी पाये जाने पर मानदेय सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे प्रकरणों में संबंधित मानदेयकर्मियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जांच उपरान्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग/बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ द्वारा सेवा से पृथक किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। निर्णय से संबंधित निरीक्षणकर्ता को भी आवश्यक रूप से सूचित किया जायेगा। मानदेय सेवा से पृथक की गई मानदेयकर्मियों 1 माह की अवधि में अपनी अपील संबंधित अपील प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकती है।
- (vii) किसी मानदेयकर्मियों के बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर 15-15 दिवस के अन्तराल में 2 नोटिस दिये जायेंगे। दूसरे नोटिस के 15 दिवस के अन्दर उपस्थित नहीं होने पर संबंधित कर्मियों को मानदेय सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
- (viii) शिकायत/अनियमितता के कारण मानदेय सेवा से पृथक की गई महिलाओं को किसी भी परिस्थिति में पुनः मानदेय सेवा के लिये आवेदन नहीं कर सकेगी।
- (ix) राज्य सरकार के निर्णयानुसार परियोजना/ग्राम पंचायत के समापन, पुर्नगठन अथवा विलय के फलस्वरूप आंगनबाड़ी केन्द्र बन्द कर दिया जाता है तो उस केन्द्र पर कार्यरत मानदेय कर्मियों की सेवाएँ स्वतः ही समाप्त हो जायेंगी। इस कारण उन्हें किसी भी विधिक कार्यवाही का अधिकार नहीं होगा।
- (x) अपील करने के लिए निर्धारित अवधि अथवा अपील होने पर उसके निस्तारण होने तक संबंधित मानदेय कर्मियों के स्थान पर नवीन चयन नहीं किया जायेगा।

- (xi) मानदेय सेवा से पृथक किये गये ऐसे मानदेयकर्मी 01 माह की अवधि में अपना अभ्यावेदन (अपील) तथा प्रथम अपील की निस्तारण तिथि से 01 माह की अवधि में द्वितीय अपील निम्नानुसार सम्बन्धित अपील प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकेंगे :-

क्र. सं.	क्षेत्र	अपील प्राधिकारी		निस्तारण अवधि	
		प्रथम अपील	द्वितीय अपील	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
1	ग्रामीण	उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग	अति० निदेशक, निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं	01 माह	01 माह
2	शहरी	उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग	अति० निदेशक, निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं	01 माह	01 माह

विशिष्ट परिस्थिति में किसी प्रकरण में राज्य सरकार को किसी स्तर पर अनियमित कार्यवाही की शिकायत प्राप्त होती है तो आदेश जारी होने के 90 दिवस या अधिक अवधि होने पर भी राज्य सरकार नियुक्ति/पृथक्कीकरण आदि से संबंधित प्रकरणों को मांवाकर परीक्षण कर उचित आदेश प्रसारित कर सकती है। इस संबंध में प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा।

10. अतिरिक्त कार्य प्रभार—

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/आंगनबाड़ी सहायिका/शिशु पालनागृह कार्यकर्ता को अतिरिक्त प्रभार दिये जाने की स्थिति में अतिरिक्त प्रभार के पद संबंधी मानदेय में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय राशि की 40 प्रतिशत राशि अतिरिक्त मानदेय के रूप में देय होगी।

11. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालनागृह कार्यकर्ता व सहायिका के उच्च शैक्षणिक अध्ययन हेतु अनुमति :-

- कोई मानदेयकर्मी जो प्राइवेट/पत्राचार उच्च अध्ययन हेतु स्वीकृति चाहती है, तो उप निदेशक/ बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा अनुमति दी जा सकती है।
- आंगनबाड़ी मानदेय कर्मिकों को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के नियमित अध्ययन/प्रशिक्षण (विभागीय प्रशिक्षण के अतिरिक्त) के लिए अवकाश तथा अनुमति देय नहीं होगी।
- केवल परीक्षा देने हेतु परीक्षा दिवसों का अवकाश प्रदान किया जा सकेगा। संबंधित उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग/ बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि मानदेयकर्मी के किसी भी प्रकार के अवकाश लेने से विभागीय सेवाओं की गतिविधियां प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
- यदि कोई मानदेय कर्मी बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के नियमित उच्च अध्ययन/प्रशिक्षण (जैसे बी.एड, बीएसटीसी आदि) के लिए प्रस्थान कर जाती है, तो उसे तत्काल मानदेय सेवा से पृथक कर दिया जाएगा तथा उसके स्थान पर अन्य मानदेय कर्मिक का चयन किया जायेगा। पत्राचार आधारित कोर्स अथवा प्राइवेट परीक्षा, जिसमें नियमित उपस्थिति आवश्यक नहीं है, के लिए वे अनुमत होंगी।
- संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/शिशुपालना गृह कार्यकर्ता का 2 वर्षीय एएनएम कोर्स/प्रशिक्षण के

लिये अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। और उसमें चयन होने पर प्रशिक्षण अवधि तक पद को रिक्त रखते हुए अन्य को कार्यभार दिया जायेगा तथा इसमें चयनित अभ्यर्थी को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस अवधि में उसे कोई मानदेय या इन्सेंटिव देय नहीं होगा, केवल उक्त अवधि में भी बीमा एवं बचत योजना का लाभ देय होगा। यदि निर्धारित प्रशिक्षण अवधि के उपरांत भी वह कार्यभार ग्रहण नहीं करती है, तो उसे सेवा से पृथक करते हुए नवीन चयन की कार्यवाही की जायेगी।

12. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता व सहायिका के चुनाव में भाग लेना—

- (i) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता, सहायिका द्वारा शहरी स्थानीय निकाय/पंचायती राज संस्थाओं एवं अन्य समस्त प्रकार के चुनाव में भाग लेने हेतु नामांकन की तिथि से चुनाव का परिणाम आने तक अवैतनिक अवकाश लेना होगा उसके लिये त्याग पत्र दिया जाना आवश्यक नहीं होगा तथा पुरानी मानदेय वृद्धि का लाभ देय होगा यदि चुनाव में भाग लेने पर विजयी होने पर संबंधित निर्वाचन पद की शपथ लेने से पूर्व उनको तुरन्त उस पद से इस्तीफा देना आवश्यक होगा यदि संबंधित निर्वाचन पद की शपथ लेने के पश्चात भी संबंधित मानदेय कर्मी (स्वीकृत अवकाश अवधि तक) कार्यग्रहण नहीं करती है तो उनको मानदेय सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।
- (ii) यदि किसी मानदेयकर्मी द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी को बिना सूचना दिये चुनाव में भाग लिया जाता है, तो मतदान की तिथि से उक्त मानदेयकर्मी को सेवा से पृथक समझा जाएगा। इस संबंध में उप निदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा सेवा से पृथक करने का आदेश प्रसारित किया जाएगा।
- (iii) यदि कोई मानदेय कर्मी किसी शहरी स्थानीय निकाय/पंचायती राज संस्थाओं के लिए किसी पद पर मनोनीत की जाती है, तब भी उसे मनोनयन के 1 माह के अन्दर किसी भी एक पद से त्याग पत्र देना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 माह पूर्ण होने के पश्चात् उसे मानदेय सेवा से स्वतः पृथक समझा जायेगा तथा उप निदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारी इस संबंध में पृथक्करण आदेश जारी करेंगे।

13. मानदेय कर्मियों को देय अवकाश :-

(अ) प्रसूति अवकाश

- (i) इस अवकाश की अधिकतम अवधि 180 दिवस होगी। प्रसूति अवकाश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा गर्भावस्था के 7^{वें} माह से लिया जा सकता है।
- (ii) प्रसूति अवकाश सुविधा अधिकतम दो बार देय होगी।
- (iii) प्रसूति अवकाश की सुविधा उन्हीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता व सहायिकाओं को देय होगी, जिनके दो से कम जीवित सन्तान हैं।
- (iv) मानदेय कर्मियों द्वारा प्रसूति अवकाश के लिए किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी संभावित प्रसव तिथि (इडीडी) अथवा बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र/प्रसूता के डिस्चार्ज टिकिट की प्रतिलिपि के साथ साधारण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन में उन्हें पीसीटीएस आईडी का अंकन करना आवश्यक होगा।
- (v) प्रसूति अवकाश की अवधि का मानदेय भुगतान अवकाश की अवधि के दौरान नियमित रूप से किया जाये।
- (vi) प्रसूति अवकाश के दौरान इन्हें पूर्ण मानदेय का भुगतान किया जायेगा, जो कि वह प्रसूति अवकाश से पूर्व प्राप्त कर रही थी।
- (vii) प्रसूति अवकाश राज्य सरकार के नियमानुसार देय होगा।

(ब) गर्भपात/प्रसव दुर्घटना अवकाश :-

- (i) यह अवकाश घटना के दिवस से अधिकतम 45 दिवस का होगा।
- (ii) प्रसूति अवकाश के अतिरिक्त यह सुविधा एक ही बार देय होगी।
- (iii) इस अवकाश की स्वीकृत के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता एवं सहायिका पर जीवित बच्चों की संख्या का उपबन्ध प्रभावी नहीं होगा। यह अवकाश किसी पंजीकृत चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है।
- (iv) गर्भपात/प्रसव दुर्घटना अवकाश की अवधि का मानदेय भुगतान अवकाश की अवधि के दौरान नियमित रूप से किया जाएगा।
- (v) गर्भपात/प्रसव दुर्घटना अवकाश के दौरान इन्हें पूर्ण मानदेय का भुगतान किया जायेगा जो कि वह गर्भपात/प्रसव दुर्घटना अवकाश से पूर्व प्राप्त कर रही थी।
- (vi) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता व सहायिका के प्रसूति/गर्भपात/प्रसव दुर्घटना अवकाश पर जाने की स्थिति में विभागीय गतिविधियां प्रभावित नहीं हो, इसे ध्यान में रखकर उप निदेशक, महिला/बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था कर विभागीय गतिविधियों का संचालन सुचारु रखा जायेगा।
- (vii) बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा इनके स्थान पर उसी आंगनबाड़ी केन्द्र की निर्धारित योग्यता वाली मानदेयकर्मी, नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्र की कार्यकर्ता/सहायिका को अतिरिक्त कार्यभार दिया जायेगा तथा बिन्दु संख्या 9 के अनुसार अतिरिक्त कार्य प्रभार संबंधी अतिरिक्त मानदेय दिया जायेगा, इसमें विभाग समयानुसार संशोधन कर सकेगा।

(स) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी कार्यकर्ता/शिशुपालना गृह कार्यकर्ता को देय राजकीय अवकाश -

1. महा शिवरात्रि	1 दिवस
2. होली दहन	1 दिवस
3. धुलण्डी	1 दिवस
4. रामनवमी	1 दिवस
5. ईदुलफितर (चांद से)	1 दिवस
6. ईदुलजुहा (चांद से)	1 दिवस
7. रक्षा बन्धन	1 दिवस
8. जन्माष्टमी	1 दिवस
9. विजय दशमी (दशहरा)	1 दिवस
10. करवा चौथ	1 दिवस
11. दीपावली	1 दिवस
12. गोवर्धन पूजा	1 दिवस
13. क्रिसमस डे	1 दिवस

कुल 13 दिवस

- नोट :-**
1. उक्त अवकाशों के अतिरिक्त, जिला कलेक्टर द्वारा घोषित दो स्थानीय अवकाश भी देय होंगे।
 2. परिवार में ब्लड रिलेशन में अथवा निकटतम सदस्य की मृत्यु होने पर 5 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देय होगा। (निकटतम सदस्य में सगे पुत्र-पुत्री, पति, भाई-बहिन, सास-ससुर, माता-पिता)

(द) ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश-

a) अवकाश की अवधि

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका तथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता प्रत्येक को प्रतिवर्ष 10 दिवस का ग्रीष्मकालीन व 10 दिवस का शीतकालीन अवकाश देय होगा।

- ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 से 30 जून की अवधि में देय होगा।
- शीतकालीन अवकाश 1 से 31 दिसम्बर की अवधि में देय होगा।

b) अवकाश के लिए आवेदन प्रक्रिया

- मानदेयकर्मियों द्वारा 15 मई तक ग्रीष्मकालीन एवं 15 नवम्बर तक शीतकालीन अवकाश के लिए पर्यवेक्षक के माध्यम से बाल विकास परियोजना अधिकारी को आवेदन किया जायेगा।
- आवेदन करते समय मानदेयकर्मी यह ध्यान रखें कि किसी केन्द्र से समान अवधि में एक से अधिक मानदेय कर्मियों द्वारा अवकाश न मांगे जाये।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी 20 मई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा 20 नवम्बर तक शीतकालीन अवकाश की स्वीकृति के आदेश जारी कर संबंधित मानदेयकर्मियों को सूचित करेंगे।
- ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश किसी अन्य प्रकृति के अवकाश जैसे मातृत्व/गर्भपात अवकाश, आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़कर नहीं लिये जा सकते हैं।
- मानदेय कर्मियों को देय राजकीय/जिला कलेक्टर द्वारा घोषित स्थानीय अवकाश उक्त 10 दिवस की अवधि के मध्य पड़ने पर उक्त अवकाश की गणना 10 दिवस के अवकाश में ही की जायेगी।

c) विशेष ध्यान देने योग्य निर्देश/प्रक्रिया

- अवकाश पर रहने वाले मानदेय कर्मिक का कार्य केन्द्र पर उपस्थित अन्य मानदेय कर्मियों द्वारा संपादित किया जायेगा, जिसके लिए किसी भी मानदेय कर्मिक को पृथक् से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को अवकाश स्वीकृत करने की स्थिति में मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के संचालन हेतु निकटतम केन्द्र की कार्यकर्ता/सहायिका को पर्यवेक्षक/बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जायेगा।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश के लिए निर्धारित 30 दिवस की अवधि में प्रत्येक आंगनवाड़ी मानदेयकर्मी को 10-10 दिवस के अवकाश को आवश्यकता एवं मांग अनुसार परिवर्तित करने व आकस्मिक तथा आपातकालीन परिस्थिति में अवकाश स्वीकृत को संशोधित अथवा निरस्त भी कर सकेंगे।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की उपस्थिति शहरी क्षेत्रों में महिला पर्यवेक्षक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच द्वारा प्रमाणित कर बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष परिस्थिति में यदि मानदेयकर्मी द्वारा उपस्थिति पेश करने के 07 दिवस में सरपंच द्वारा उपस्थिति प्रमाणित नहीं की जाती है तो, संबंधित महिला/पुरुष पर्यवेक्षक द्वारा प्रमाणित की जा सकेगी।

(य) आकस्मिक अवकाश :-

- भारत सरकार के पत्र क्रमांक 19-9/85-सी.डी.(I) दिनांक 19.03.85 के अनुरूप इन्हें वर्षभर में कुल 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगे। एक बार में अधिकतम 10 दिवस का आकस्मिक अवकाश लिया जा सकेगा।

- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता/सहायिका को विशेष परिस्थिति के सिवाय अन्य कार्य के लिए एक साथ 10 दिवस से अधिक का अवकाश नहीं दिया जायेगा।

- आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति महिला पर्यवेक्षक द्वारा प्रदान की जा सकेगी।

(र) अवैतनिक अवकाश :-

- बीमारी/दुर्घटना की स्थिति में राजकीय चिकित्सालय/अनुमोदित चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी की समक्षता के अनुरार जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर मानदेय कर्मियों का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जावेगा।
- आंगनवाड़ी मानदेयकर्मियों को विदेश यात्रा हेतु अवैतनिक अवकाश सशर्त उसके आंगनवाड़ी केन्द्र का चार्ज आंगनवाड़ी केन्द्र पर कार्यरत सहायिका या नजदीक के आंगनवाड़ी केन्द्र की कार्यकर्ता को दिया जाकर अनुमति दी जा सकती है।
- यदि स्वीकृत अवकाश अवधि पूर्ण होने के उपरांत अवकाश पर जाने वाली मानदेयकर्मि आंगनवाड़ी केन्द्र पर उपस्थित नहीं होती है तो संबंधित मानदेयकर्मि को मानदेय सेवा से पृथक् कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित मानदेयकर्मि की होगी।

14. मानदेय कर्मिकों पर लागू अन्य प्रावधान-

- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता, एवं सहायिका को राजकीय कार्य से बैठक/प्रशिक्षण इत्यादि में भाग लेने पर सामान्य बस का वास्तविक यात्रा किराया देय होगा।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता एवं सहायिका की उपस्थिति शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में महिला पर्यवेक्षक द्वारा प्रमाणित कर उप निदेशक/ बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता, एवं सहायिका का मानदेय उप निदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से सीधा बैंक खाते में ही जमा करवाया जायेगा।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों का कार्य समय निम्नानुसार होगा जो आवश्यकता के अनुरूप बदला भी जा सकेगा :-

आंगनवाड़ी केन्द्र संचालन समय	
ग्रीष्मकालीन (1 अप्रैल से 30 सितम्बर)	प्रातः 08:00 बजे से 12:00 बजे तक (4 घण्टे)
शरदकालीन (1 अक्टूबर से 31 मार्च)	प्रातः 10:00 बजे से 2:00 बजे तक (4 घण्टे)

आंगनवाड़ी केन्द्र सह शिशु पालना गृह संचालन समय	
ग्रीष्मकालीन (1 अप्रैल से 30 सितम्बर)	प्रातः 08:00 बजे से 04:00 बजे तक (8 घण्टे)
शरदकालीन (1 अक्टूबर से 31 मार्च)	प्रातः 10:00 बजे से 6:00 बजे तक (8 घण्टे)

नोट:- समेकित बाल विकास सेवाओं के मानदेयकर्मियों (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता) पर ये दिशा-निर्देश इस आदेश जारी होने की दिनांक के बाद जारी हुई आगामी विज्ञप्तियों में ही लागू होंगे। इस आदेश जारी होने से पूर्व जारी की गई विज्ञप्तियों में पूर्व में जारी चयन नियमों अनुसार ही चयन की कार्यवाही की जावे।

12-1-2023

(रामावतार मीणा)

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक प.11(3)10/मो/आईसीडीएस/2011/4245-63 जयपुर, दिनांक 12/11/2023

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदया, (स्वतंत्र प्रभार) महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. अति० मुख्य सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
5. आयुक्त, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर।
6. आयुक्त, महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
7. जिला प्रमुख, समस्त।
8. महापौर/सभापति, नगर निगम/नगर परिषद, समस्त।
9. जिला कलेक्टर, समस्त।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
11. आयुक्त, नगर निगम/नगर परिषद, समस्त।
12. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त।
13. सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, समस्त।
14. प्रधान, पंचायत समिति, समस्त।
15. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
16. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, समस्त।
17. बाल विकास परियोजना, अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ समस्त।
18. प्रभारी अधिकारी, मुख्यालय समस्त।
19. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने।

(141)
अति० निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाएँ

परिशिष्ट 'अ'

औंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी औंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता/सहायिका पद
हेतु आवेदन पत्र

बाल विकास परियोजना/उप निदेशक :जिला :

ग्राम पंचायत/शहरी निकाय का नाम.....

राज्य ग्राम/वार्ड

औंगनबाड़ी केन्द्र/ग्राम पंचायत का नाम

(जिसके लिए आवेदन किया गया है)

मानदेय सेवा पद.....

(जिसके लिए आवेदन किया गया है)

1. आवेदक का नाम

2. पति का नाम

3. पिता का नाम

4. पत्र व्यवहार का पता

5. मोबाईल नम्बर.....

6. आवेदक की मेल आई डी-

7. जन्म तिथि

8. आयु वर्ष माह

(विज्ञप्ति जारी होने/करने की तिथि के आधार पर)

9. वर्ग

(i) अनुजाति ☐ जनजाति ☐ अल्पसंख्यक ☐ ओ.बी.सी ☐ सामान्य ☐

एसबीसी ☐ आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) ☐

(ii) आदिम व घुमन्तुजाति ☐

(iii) दिव्यांग जन (गति आधारित) ☐

(जो लागू हो टिक करें एवं सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न करें संलग्नक पृष्ठ संख्या)

10. वैवाहिक स्थिति-विवाहित ☐ विधवा ☐ तलाकशुदा ☐

(जो लागू हो टिक करें एवं सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न करें संलग्नक पृष्ठ संख्या)

(अगले पृष्ठ पर जारी).....

11. विवाह की तिथि

(सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न करें, संलग्नक पृष्ठ संख्या)

12. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :-

क्र. सं.	उत्तीर्ण कक्षा	वर्ष	विद्यालय/बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	सैकण्डरी			
2	हाई सैकण्डरी			
3	नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (NTT)/DPSE			
4	स्नातक			
5	स्नातकोत्तर			
6	B.Ed/BSTC /द्विवर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र (D.El.Ed)			
7	कम्प्यूटर कोर्स (RS-CIT /RS-CFA)/PGDCA			
8	ANM/GNM/Ayurved Nursing			
9	अन्य			

13. आंगनवाडी कार्यकर्ता/मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ता/सहायिका/शिशुपालना गृह के रूप में कार्यानुभव (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें, संलग्नक पृष्ठ संख्या.....)

14. अन्य योग्यता का विवरण-

(जो लागू हो टिक करें एवं सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न करें, संलग्नक पृष्ठ संख्या.....)

15. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि :-

(अगले पृष्ठ पर जारी).....

संलग्न दस्तावेज (सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें) :-

(संलग्न किये गये दस्तावेजों पर टिक करें ☐ तथा अन्य को काट ☐ दें)

क्र. सं.	योग्यता दस्तावेज	हाँ/नहीं	संलग्नक पृष्ठ संख्या
1	अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अंकतालिका/प्रमाण-पत्र		
2	नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (NTT) योग्यता सम्बन्धी अंकतालिका/प्रमाण-पत्र		
3	सैकेण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण-पत्र		
4	स्थानीय निवासी होने का प्रमाण-पत्र • मतदाता पहचान-पत्र • राशन कार्ड • आधार कार्ड • जन आधार कार्ड		
5	विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र		
6	अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र		
7	आदिम व घुमन्तु जाति का प्रमाण-पत्र		
8	दिव्यांग जन (गति आधारित) का प्रमाण-पत्र(40 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण पत्र होने पर)		
9	जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग/एएनएम का प्रमाण-पत्र		
10	RSCIT प्रमाण-पत्र / PGDCA		
11	कार्यानुभव प्रमाण-पत्र(यदि लागू हो)		
12	विधवा/ तलाकशुदा का प्रमाण-पत्र		
13	अन्य		

दिनांक

हस्ताक्षर
(आवेदनकर्ता)

घोषणा

1. मैंशपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी/सूचनाएं मेरी जानकारी अनुसार सत्य एवं पूर्ण हैं। मैंने कोई सूचना नहीं छिपाई है। यह जानकारी/सूचनाएं असत्य अथवा अप्रामाणिक पाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त होने पर मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहूंगी।
2. मुझे विदित है कि आवेदित पद पूर्णतः मानदेय आधारित, अस्थायी एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने का पद है।
3. मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि मेरे घर में शौचालय है, जिसका नियमित उपयोग किया जाता है।
4. मेरे द्वारा आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर दिये हैं। आवेदन के बाद किसी भी दस्तावेज को संलग्न करने हेतु अनुरोध नहीं करूंगी।

5. मेरे पति की मृत्यु दिनांक को हो चुकी है/ मैं दिनांक से तलाकशुदा हूँ/ मैं दिनांक से परित्यक्ता हूँ तथा मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है। मैंने सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिया है। (लागू होने पर ही भरा जाये)।

दिनांक

हस्ताक्षर (आवेदनकर्ता)

रसीद यहाँ से फाड़कर आवेदनकर्ता को दी जाये

(आवेदन पत्र प्राप्ति की रसीद कार्यालय उपयोग हेतु)

श्रीमती पत्नी श्री निवासी
..... से आँगनवाड़ी केन्द्र के लिए मानदेय सेवा पद
..... हेतु आवेदन पत्र मय निम्नलिखित संलग्नों सहित प्राप्त किया गया।

1. अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अंकतालिका/प्रमाण-पत्र ☐ संलग्नक पृष्ठ संख्या
2. सैकेण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण-पत्र ☐ संलग्नक पृष्ठ संख्या
3. स्थानीय निवासी होने का प्रमाण-पत्र- ☐ मतदाता पहचान-पत्र ☐ आधार कार्ड ☐
राशन कार्ड ☐ संलग्नक पृष्ठ संख्या
4. विवाह पंजियन प्रमाण- ☐ पत्र संलग्नक पृष्ठ संख्या
5. अनूसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र ☐ संलग्नक पृष्ठ संख्या
6. आदिम व घुमन्तु जाति/आदिम व घुमन्तु जनजाति का प्रमाण-पत्र ☐ संलग्नक पृष्ठ संख्या
7. दिव्यांग जन (गति आधारित) का प्रमाण-पत्र ☐ संलग्नक पृष्ठ संख्या
8. जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग/एएनएम का प्रमाण-पत्र ☐ संलग्नक पृष्ठ संख्या
9. RSCIT प्रमाण-पत्र ☐ संलग्नक पृष्ठ संख्या
10. कार्यानुभव प्रमाण-पत्र(यदि लागू हो) ☐ संलग्नक पृष्ठ संख्या
11. विधवा/तलाकशुदा का प्रमाण-पत्र ☐ संलग्नक पृष्ठ संख्या
12. अन्य ☐ संलग्नक पृष्ठ संख्या

हस्ताक्षर (आवेदन जमा करने वाले के)

दिनांक

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

(मय सील व हस्ताक्षर संबधित बाल
विकास परियोजना अधिकारी)

परिशिष्ट 'स'

बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आँगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनि आँगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता/सहायिका पद के लिए अभिशंषा भेजने का प्रपत्र

दिनांक

जिले का नाम:-.....परियोजना/ग्राम पंचायत का नाम:-.....

ग्राम पंचायत/शहरी निकाय का नाम:-

ग्राम सभा/शहरी चयन समिति/सहायक निदेशक/जिला उप निदेशक समिति द्वारा मूल्यांकन प्रपत्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली आवेदक के नाम की अभिशंषा मानदेय सेवा पद के लिए निम्नानुसार की जाती है।

क्र. सं.	चयनित आवेदक का नाम	ग्राम पंचायत/वार्ड संख्या	आँगनबाड़ी केन्द्र/ग्राम पंचायत	जन्म दिनांक	शैक्षणिक योग्यता	वर्ग	पद	प्राप्तांक	वरीयता संख्या	प्रस्ताव संख्या/दिनांक

हस्ताक्षर
(अध्यक्ष)

(चयन-आदेश प्रारूप)

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी

क्रमांक / संस्थापन / 201..... /

दिनांक

चयन- आदेश

चयन कमेटी द्वारा योग्यता के आधार पर चयन कर मूल दस्तावेज मिलान के उपरान्त निम्न को नियुक्ति हेतु चिन्हित किया जाता है। प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षण में A या B ग्रेड प्राप्त करने पर ही मानदेय सेवा में नियुक्ति प्रदान की जायेगी। प्रशिक्षण में भाग न लेने व C या D ग्रेड प्राप्त करने पर मानदेय सेवा कार्य-आदेश प्रदान नहीं किये जायेगे।

क्र. सं.	चयनित का नाम	ग्राम पंचायत / वार्ड संख्या	आंगनबाड़ी केन्द्र / ग्राम पंचायत	जन्म दिनांक	शैक्षणिक योग्यता	वर्ग	वरीयता संख्या	पद

बाल विकास परियोजना अधिकारी

क्रमांक :

दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ / पालनार्थ :-

1. उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं / महिला अधिकारिता
2. श्रीमती..... महिला पर्यवेक्षक / सुपरवाइजर म.अ., सेक्टर / ब्लॉक.....
3. सम्बन्धित ग्राम पंचायत.....
4. व्यक्तिगत पत्रावली।
5. सम्बन्धित प्रार्थी
6. रक्षित पत्रावली।

बाल विकास परियोजना अधिकारी

कार्यालय उप निदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारी

परिशिष्ट- 'द'

जिला

क्रमांक / संस्थापन / 201..... /

दिनांक

कार्य-आदेश / नियुक्ति

बाल विकास परियोजना के अधीन आंगनवाड़ी केन्द्र पर मानदेयकर्मी के रूप में चयन के संबंध में चयन समिति की अभिरक्षा व प्रशिक्षण में ग्रेड-A/B प्राप्त किये जाने पर मानदेय सेवा में निर्धारित मानदेय के आधार पर निम्नानुसार नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	मानदेयकर्मी का नाम मय पति का नाम	पद	वरीयता संख्या	योग्यता	वर्ग	जन्म तिथि	जन्म तिथि का आधार (10वीं/12वीं बोर्ड का प्रमाण पत्र/अन्य)	निर्धारित मानदेय	ग्राम पंचायत/आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम

उपरोक्त महिलाओं को निम्न सेवा शर्तों के अध्याधीन उनके सम्मुख अंकित आंगनवाड़ी केन्द्र पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ शिशु पालनागृह कार्यकर्ता/ सहायिका के 61 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर मानदेय सेवाएँ आवश्यक रूप से समाप्त कर दी जायेंगी।
2. प्रतिमाह भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
3. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालनागृह कार्यकर्ता सहायिका राज्य कर्मचारी नहीं होकर मानदेय सेवाकर्मी हैं। इनके द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों पर दी जा रही सेवाओं के लिए इन्हें मानदेय का भुगतान किया जाता है। यह पूर्णतः अस्थाई है एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने वाली मानदेयकर्मी है। इन पर किसी भी प्रकार के राज्य सेवा नियम लागू नहीं होंगे।
4. विभाग द्वारा निर्धारित किये गये कर्तव्यों एवं कार्य दायित्वों की पालना अनिवार्य रूप से की जायेगी।

5. आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को आँगनवाड़ी केन्द्र की गतिविधियों का प्रतिमाह का लेखा-जोखा निर्धारित प्रपत्रों में सेक्टर पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करना होगा। अन्य सामयिक सूचनाएँ भी यथा आवश्यकता प्रस्तुत करनी होगी।
6. विभाग द्वारा विभागीय गतिविधियों का समय-समय पर दिया जाने वाला प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जब भी प्रशिक्षण में नामांकित किया जायेगा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रस्थान करना होगा।
7. प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य दस्तावेज गलत व फर्जी पाये गये तो विभाग आपकी मानदेय सेवाएँ समाप्त कर आपको मानदेय सेवा से पृथक किया सकता है, तथा आपके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर सकता है।
8. विभाग द्वारा जारी आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशु पालनागृह कार्यकर्ता एवं सहायिका का मानदेय सेवा पर चयन करने, हटाने एवं अवकाश आदि अन्य विविध मामलों की प्रक्रिया संबंधी नवीनतम परिपत्र में पृथकीकरण के प्रावधानों के अन्तर्गत आपको मानदेय सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
9. चयनित महिलाओं को आदेश जारी करने की तिथी से 7 दिवस के अन्दर कार्य ग्रहण कर इसकी सूचना संबंधित पर्यवेक्षक/अध्योहस्ताक्षरकर्ता को दी जानी होगी।
10. मानदेय सेवा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले दिशा-निर्देशों एवं नीति निर्णय के अध्याधीन होगी।

उप निदेशक/
बाल विकास परियोजना अधिकारी

क्रमांक :

दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/पालनार्थ :-

1. खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति
2. श्रीमती..... महिला पर्यवेक्षक/सेक्टर
3. सम्बन्धित ग्राम पंचायत.....
4. लेखाशाखा/संस्थापन शाखा.....
5. सम्बन्धित श्रीमती
6. व्यक्तिगत पत्रावली।
7. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक/
बाल विकास परियोजना अधिकारी

(विज्ञप्ति प्रारूप)

(समाचार पत्रों में जारी की जाने वाली विज्ञप्ति का संक्षिप्त प्रारूप)

कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग(जिले का नाम)

क्रमांक

दिनांक

विज्ञप्ति संख्या

जिले की निम्नलिखित परियोजनाओं/ग्राम पंचायत के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों/वार्डों में आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता के र्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.सं	उप निदेशक/ परियोजना कार्यालय का नाम एवं ई-मेल आई.डी, फोन/मो. न.	रिक्त मानदेय पदों के नाम/संख्या			
		कार्यकर्ता	मिनी कार्यकर्ता	शिशु पालनागृह कार्यकर्ता	सहायिका
1.					

- आवेदन फॉर्म ऑन-लाईन विभागीय वेब साइट पर दिये गये लिंक के माध्यम से निर्धारित दिनांक-..... तक स्वीकार्य होंगे।
- ऑन-लाईन भरे गये आवेदन पत्र की हार्ड कापी मय संलग्न दस्तावेजों के सम्बन्धित उप निदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः/रजि. डाक द्वारा सम्बन्धित परियोजना कार्यालय में निर्धारित दिनांक साय: 5.00 बजे तक जमा कराये जा सकेंगे।
- विज्ञप्ति के संबंध में परियोजनावार/आँगनवाड़ी केन्द्रवार/ग्राम पंचायतवार/वार्डवार रिक्त पदों तथा पात्रता आदि संबंधी विस्तृत जानकारी विभागीय वेब-साईट<http://www.wcd.rajasthan.gov.in>से प्राप्त की जा सकती है।

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गौधीनगर, जयपुर

क्रमांक प.11(3)10/मो/आईसीडीएस/2022/

जयपुर, दिनांक 01.03.2024

उप निदेशक,
बाल विकास परियोजना अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

57871- 58286

विषय:- आंगनबाड़ी मानदेयकर्मियों के चयन से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में संशोधित दिशा निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत वर्तमान में जारी परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 में दिये गये दिशा निर्देश (प्रावधान) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

क्र. सं.	विषय	वर्तमान में जारी परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 में दिये गये दिशा निर्देश (प्रावधान)	नवीन प्रतिस्थापित दिशा निर्देश (प्रावधान)
1	आंगनबाड़ी सहायिका से कार्यकर्ता के पद पर सीधे नियुक्ति	बिन्दु संख्या 6(A)(vii):- यदि कोई सहायिका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद पर आवेदन करती है तो 2 वर्ष की निरन्तरता का कार्यानुभव (केवल राजस्थान राज्य में) रखने वाली आंगनबाड़ी सहायिकाओं को सीधे ही कार्यकर्ता के पद पर लगाया जायेगा बशर्ते रिक्तियों की उपलब्धता, शैक्षणिक योग्यता व सेवा रिकार्ड, के मानदण्ड को पूर्ण करती हो। इसमें अंको की वरीयता सूची अप्रभावी मानी जायेगी। (पृष्ठ संख्या- 05)	बिन्दु संख्या 6(A)(vii):- ● जिस केन्द्र पर कार्यकर्ता का पद रिक्त है उसी केन्द्र की आंगनबाड़ी सहायिका को 2 वर्ष की निरन्तरता का कार्यानुभव (केवल राजस्थान राज्य में) रखने पर सीधे ही कार्यकर्ता के पद पर लगाया जायेगा बशर्ते रिक्तियों की उपलब्धता, शैक्षणिक योग्यता व सेवा रिकार्ड के मानदण्ड को पूर्ण करती हो। इस हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी विज्ञप्ति हेतु रिक्तियों की सूचना भिजवाने की तिथि से एक माह पूर्व इससे संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करेगा। इस हेतु संबंधित केन्द्र की सहायिका को कार्यकर्ता के रिक्त पद पर 15 दिवस में मय आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति सहित आवेदन करने हेतु सूचित करेगा। सहायिका द्वारा सूचना के 15 दिवस के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। सहायिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन की बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा शैक्षणिक योग्यता, सेवा अनुभव एवं अन्य योग्यताओं की परीपेक्ष में जांच कर योग्य पाये जाने पर नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा तथा उक्त केन्द्र पर रिक्त सहायिका के पद की सूचना विज्ञप्ति जारी करने हेतु संबंधित उप निदेशक को

			भिजवायेगा। यदि सूचना के 15 दिवस के अन्दर सहायिका द्वारा आवेदन नहीं किया जाता है तो उक्त केन्द्र पर रिक्त पद हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी जावेगी तथा विज्ञप्ति में आवेदन करने पर कार्यरत आंगनवाड़ी सहायिका को केवल अनुभव के अंक दिये जायेंगे। आंगनवाड़ी सहायिका की उसी केन्द्र पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति होती है तो उनको कार्यकर्ता का मानदेय नियुक्ति माह के अगले महीने की प्रथम तिथि से देय होगा।																								
2	आयु सीमा में छूट	बिन्दु संख्या 6(A)(viii):- आंगनवाड़ी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिये आवेदन करता है तो उन पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नहीं होगी। (पृष्ठ संख्या- 05)	बिन्दु संख्या 6(A)(viii):- विभाग में वर्तमान में कार्यरत मानदेयकर्मी (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका एवं शिशुपालना गृह कार्यकर्ता) सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिये आवेदन करता है तो उन पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नहीं होगी।																								
3	श्रेणी के संबंध में	बिन्दु संख्या 6(A)(ix) में प्रपत्र ब के उप बिन्दु 2 में :- <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th><th>मापदण्ड</th><th>विस्तृत विवरण</th><th>अंक भार</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td><td></td><td>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति</td><td>3</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक सक्षम प्रमाण के आधार पर</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	मापदण्ड	विस्तृत विवरण	अंक भार	2		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	3			पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक सक्षम प्रमाण के आधार पर	2	बिन्दु संख्या 6(A)(ix) में प्रपत्र ब के उप बिन्दु 2 में :- <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th><th>मापदण्ड</th><th>विस्तृत विवरण</th><th>अंक भार</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td><td></td><td>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति</td><td>3</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक सक्षम प्रमाण के आधार पर</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	मापदण्ड	विस्तृत विवरण	अंक भार	2		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	3			पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक सक्षम प्रमाण के आधार पर	2
क्र.सं.	मापदण्ड	विस्तृत विवरण	अंक भार																								
2		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	3																								
		पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक सक्षम प्रमाण के आधार पर	2																								
क्र.सं.	मापदण्ड	विस्तृत विवरण	अंक भार																								
2		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	3																								
		पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक सक्षम प्रमाण के आधार पर	2																								

32

			सामान्य	1			सामान्य	1	
			विमुक्त एवं अर्द्धधूमन्तु जाति / आदिम व धूमन्तु जाति सक्षम प्रमाण के आधार पर	2			विमुक्त एवं अर्द्धधूमन्तु जाति / आदिम व धूमन्तु जाति सक्षम प्रमाण के आधार पर	2	
		श्रेणी	गति आधारित दिव्यांग जन (गति आधारित - प्रमस्ति ष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित, पेशीय दुष्पोषण)	2		श्रेणी	गति आधारित दिव्यांग जन (गति आधारित - प्रमस्ति ष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित, पेशीय दुष्पोषण)	2	
			40 प्रतिशत विकलांगता की स्थिति में				40 प्रतिशत विकलांगता की स्थिति में		
			नोट:-राजस्थान से बाहर अन्य प्रदेश की आरक्षित वर्ग की महिला होने पर उसे आरक्षित श्रेणी का लाभ नहीं दिया जाकर केवल सामान्य वर्ग में माना जावेगा।						
4	मानदेय सेवा पृथक्करण के संबंध में	बिन्दु संख्या 9(xi):- मानदेय सेवा से पृथक् किये गये ऐसे मानदेयकर्मी 01 माह की अवधि में अपना अभ्यावेदन (अपील) तथा प्रथम अपील की निस्तारण तिथि से 01 माह की अवधि में द्वितीय अपील निम्नानुसार सम्बन्धित अपील प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकेंगे :- बाल विकास परियोजना अधिकारी/उप निदेशक द्वारा जारी पृथक्करण आदेश की स्थिति में:-				बिन्दु संख्या 9(xi):- मानदेय सेवा से पृथक् किये गये ऐसे मानदेयकर्मी 01 माह की अवधि में अपना अभ्यावेदन (अपील) तथा प्रथम अपील की निस्तारण तिथि से 01 माह की अवधि में द्वितीय अपील निम्नानुसार सम्बन्धित अपील प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकेंगे :- बाल विकास परियोजना अधिकारी/उप निदेशक द्वारा जारी पृथक्करण आदेश की स्थिति में:-			

25

क्र. स.	क्षेत्र	अपील प्राधिकारी		निस्तारण अवधि	
		प्रथम अपील	द्वितीय अपील	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
1	ग्रामीण	उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग	अतिरिक्त निदेशक (आई.) निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं	01 माह	01 माह
2	शहरी	उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग	अतिरिक्त निदेशक (आई.) निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं	01 माह	01 माह

विशिष्ट परिस्थिति में किसी प्रकरण में राज्य सरकार को किसी स्तर पर अनियमित कार्यवाही की शिकायत प्राप्त होती है तो आदेश जारी होने के 90 दिवस या अधिक अवधि होने पर भी राज्य सरकार नियुक्ति/पृथक्कीकरण आदि से संबंधित प्रकरणों को मंगवाकर परीक्षण कर उचित आदेश प्रसारित कर सकती है। इस संबंध में प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा। (पृष्ठ संख्या- 11)

क्र. स.	क्षेत्र	अपील प्राधिकारी		निस्तारण अवधि	
		प्रथम अपील	द्वितीय अपील	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
1	ग्रामीण	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	अतिरिक्त निदेशक (आई.) निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं	01 माह	01 माह
2	शहरी	अतिरिक्त जिला कलेक्टर	अतिरिक्त निदेशक (आई.) निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं	01 माह	01 माह

विशिष्ट परिस्थिति में किसी प्रकरण में राज्य सरकार को किसी स्तर पर अनियमित कार्यवाही की शिकायत प्राप्त होती है तो आदेश जारी होने के 90 दिवस या अधिक अवधि होने पर भी राज्य सरकार नियुक्ति/पृथक्कीकरण आदि से संबंधित प्रकरणों को मंगवाकर परीक्षण कर उचित आदेश प्रसारित कर सकती है। इस संबंध में प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा।

5 विशेष योग्यता बिन्दु संख्या 6(A)(ix) में प्रपत्र ब के उप बिन्दु 3 में :-

क्र.सं.	मापदण्ड	विस्तृत विवरण	अंक भार
3		जी.एन.एम. / आयुर्वेद नर्सिंग	4
		ANM	3

बिन्दु संख्या 6(A)(ix) में प्रपत्र ब के उप बिन्दु 3 में :-

क्र.सं.	मापदण्ड	विस्तृत विवरण	अंक भार
3		जी.एन.एम. / आयुर्वेद नर्सिंग	4
	विशेष योग्यता	ANM नोट:- ANM की पात्रता एवं शैक्षणिक	3

32

		विशेष योग्यता	RSCIT/ PGDCA	1		योग्यता निम्नानुसार आवश्यक है। (1) Xth standard with Auxiliary Nurse Midwifery Training/ Health worker female course passed and (2) Registered in Rajasthan Nursing Council As a B Grade Nurse. RSCIT/PGDCA	1
		(पृष्ठ संख्या- 06)				(पृष्ठ संख्या- 06)	
6	वैवाहिक स्थिति	बिन्दु संख्या 6(A)(iv):- वैवाहिक स्थिति:- आंगनबाड़ी कर्मी के पद पर आवेदन हेतु महिला का विवाहित होना आवश्यक है। (पृष्ठ संख्या- 05)				बिन्दु संख्या 6(A)(iv):- वैवाहिक स्थिति:- कोर्ट आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी कर्मी के पद पर आवेदन हेतु विवाहित एवं अविवाहित महिला दोनों पात्र होगी। किन्तु विवाह अथवा अन्य किसी कारण से यदि महिला स्थानीय निवासी नहीं रहती है तो स्वतः ही मानदेय सेवा समाप्त मानी जायेगी। इस आशय का अण्डर टेंकिंग(शपथ पत्र) चयन के आवेदन करते समय ही देना होगा। विभाग द्वारा भविष्य में स्थानीय निवासी नहीं रहने पर जांच उपरांत मानदेय सेवा से हटा दिया जायेगा। नोट:- उक्त बिन्दु Hon' ble High Court' jodhpur in S.B. Civil Writ Petition No 11280/2019 Miss Madhu Vs the State of Rajasthan & others में उल्लेखित रिट में सम्मिलित पक्षकारों के संबंध में एवं जारी होने की दिनांक के बाद जारी आगामी विज्ञप्तियों में ही लागू होगा।	

35

7	साथिन के संबंध में	नोट:-केवल शहरी क्षेत्र की साथिन जो परिसीमन होने के पश्चात निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग द्वारा कार्यमुक्त कर दी गई है उन्हें सम्बन्धित नगरीय निकाय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद रिक्त होने से एक माह पूर्व आवेदन करना होगा। उक्त पद पर अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं रखते हुए, शैक्षणिक योग्यता एवं उसी वार्ड की निवासी की बाध्यता को हटाते हुए उक्त पद पर सीधे ही साथिन के पद से कार्यमुक्त की गई महिला का चयन करना सुनिश्चित करे तथा उक्त पद की विज्ञप्ति जारी नहीं करें। उक्त प्रकरण में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में अधिकतम शैक्षणिक योग्यता वाली महिला का चयन किया जावेगा। (पृष्ठ संख्या- 06-07)	उक्त साथिन केवल सामान्य आवेदक के रूप में आवेदन करने के योग्य होगी। जिनको न्यूनतम 2 वर्ष की निरन्तरता का कार्यानुभव (केवल राजस्थान राज्य में) होने पर अनुभव के 4 अंक देय होंगे।
---	--------------------	--	---

शेष समस्त शर्तें चयन परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 में दिये गये दिशा निर्देशानुसार मान्य होंगी।

नोट:- समेकित बाल विकास सेवाओं के मानदेयकर्मियों (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता) पर संशोधित दिशा निर्देश इस आदेश जारी होने की दिनांक के बाद जारी हुई आगामी विज्ञप्तियों में ही लागू होंगे। इस आदेश जारी होने से पूर्व जारी की गयी विज्ञप्तियों में पूर्व में जारी चयन नियमों के अनुसार ही चयन की कार्यवाही की जावे।

(कृष्ण कुणाल)

शासन सचिव

58287-406

महिला एवं बाल विकास विभाग

जयपुर, दिनांक 01.03.2024

क्रमांक प.11(3)10/मो/आईसीडीएस/2022/

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. अति० मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर।
7. शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
8. आयुक्त, महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
9. जिला कलेक्टर, समस्त।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।
11. प्रभारी अधिकारी, मुख्यालय समस्त।
12. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने।

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं